रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092024-257513
CG-DL-E-26092024-257513

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3861] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2024/आश्विन 3, 1946
No. 3861] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2024/ASVINA 3, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2024

का.आ. 4219अ)-- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर,2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पंजाब (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(i)	श्री जितेन्द्र शर्मा मकान सं. 85, सैक्टर 5ए, इको सिटी 1 डाकखाना मुल्लनपुर गरीबदास, न्यू चंडीगढ़ जिला एसएएस नगर, पंजाब 140901	-	अध्यक्ष
(ii)	डा. अनूप वर्मा सह आचार्य और अध्यक्ष	-	सदस्य; और

इंजीनियरी और पर्यावरण स्कूल
थापर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान
पटियाला – 147004

(iii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव - सदस्य सचिव।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग
पंजाब सरकार

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

4. प्राधिकरण पंजाब राज्य के लिए पैरा 6 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय करेगा ।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जांएगे और साधारणतया सर्वसम्मत होंगे :

परंतु यदि विनिश्चय बहुमत द्वारा किया जाता है, इसके पक्ष और विपक्ष में विचारों के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्टतया अभिलिखित किए जांएगे और उसकी एक प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाएगी।

6. केंद्रीय सरकार, पंजाब राज्य सरकार के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता करने के प्रयोजन के लिए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पंजाब (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

(i) डा.सतनाम सिंह लाधर - अध्यक्ष;
मकान नं. 2457, सेक्टर 79
एसएएस नगर, 140308

(ii) इंजीनियर मंजीत सिंह - सदस्य;
एस.सी.एफ 19, कबीर पार्क
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय,
के सामने, अमृतसर, 143002

(iii) प्रो. (डा.) सरोजबाला - सदस्य;
362 – ए, रणजीत एवेन्यू
अमृतसर- 143001

(iv) इंजीनियर दलजीत सिंह चीमा - सदस्य;
मकान नं. 563 सेक्टर-18बी
चंडीगढ़- 160018

(v) श्री असीमकुमार शर्मा - सदस्य;
मकान नं. 140 सेक्टर 16-ए
चंडीगढ़ 160015

(vi) डा. नरेश कुमार भारद्वाज - सदस्य; और
मकान नं. 3287, सेक्टर-35 ए
चंडीगढ़

(vii) अपर निदेशक - सदस्य सचिव।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय
पंजाब सरकार।

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

8.समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करे और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति नहीं बन सकती है, तो बहुमत का अभिमत अभिभावी होगा ।

10. हित के किसी विरोध से बचने के लिए, -

(i) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, तथा समिति, -

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं;

(ख) परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंध योजना को तैयार करने के संबंध में कोई परामर्श नहीं देंगे और सहयोग नहीं करेंगे जिसे उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना है या जिसका समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाना है ।

(ii) यदि प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन संचालित किया है तो उस दशा में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा किसी प्रस्तावित परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठकों से स्वयं को दूर रखेंगे ।

11. पंजाब राज्य सरकार प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रुप में कार्य करने के लिए अभिकरण विनिर्दिष्ट करेगी और सचिवालय उक्त अधिसूचना के अधीन वित्तीय और संभार तंत्र सहायता जिसके अंतर्गत आवास परिवहन और उनके कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं उपलब्ध कराएगा ।

12. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते पंजाब सरकार के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

[फा. सं. जे-11013/43/2007–आईए. II (I)]

अमनदीप गर्ग ,अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2024

S.O. 4219(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Punjab (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely: -

(i) Sh. Jitendra Sharma - Chairman;
House No.85, Sector 5A, Eco City 1,
P.O Mullanpur Garibdass, New Chandigarh
Distt. SAS Nagar, Punjab-140901

(ii) Dr. Anoop Verma - Member; and
Associate Professor and Head,
School of Engineering and Environment,
Thapar Institute of Engineering and Technology,
Patiala -147004

(iii) Additional Secretary or Joint Secretary - Member Secretary.
Department of Science, Technology and Environment,
Government of Punjab

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 for the State of Punjab.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF.

6. The Central Government, in consultation with the State Government of Punjab, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Punjab (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following Members, namely: -

(i) Dr. Satnam Singh Ladhar - Chairperson;
House No.2457, Sector-79,
S.A.S. Nagar, 140308

(ii) Er. Manjit Singh - Member;
S.C.F-19, Kabir Park,
Opp. G.N.D University, Amritsar, 143002

(iii) Prof.(Dr.) Saroj Bala - Member;
362-A, Ranjit Avenue,
Amritsar-143001

(iv) Er. Daljeet Singh Cheema - Member;
House No.563, Sector-18-B,
Chandigarh, 160018

(v) Mr. Aseem Kumar Sharma - Member;
House No.140, Sector-16-A,
Chandigarh, 160015

(vi) Dr. Naresh Kumar Bhardwaj - Member; and
House No.3287, Sector-35-A, Chandigarh

(vii) Additional Director, - Member Secretary.
Directorate of Environment and Climate Change,
Government of Punjab.

7. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest,-

(i) the Chairman and Members of the Authority, and the Committee shall,-

(a) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, or the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The State Government of Punjab shall specify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the State Government of Punjab.

[F.No. J-11013/43/2007-IA.II(I)]

AMANDEEP GARG, Addl.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024-09.26 16:11:32 +05'30'